[2020] 3 उम. नि. प. 411

प्रावकर मलिक और एक अन्य

बनाम

ओडिशा राज्य और अन्य

[2011 की सिविल अपील सं. 3240 और 4421]

17 अप्रैल, 2020

न्यायमूर्ति मोहम्मद शांतानागौडर और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16(4क)(यथा संशोधित) [सपठित उड़ीसा पदों और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) अधिनियम, 1975] – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को लोक सेवाओं में पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा दिया जाना – राज्य संविधान के अनुच्छेद 16(4क) में 85वें संविधान संशोधन के पश्चात् लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा देने के लिए स्वतंत्र हैं किंतु ऐसा फायदा पदों में आरक्षित प्रवर्ग के व्यक्तियों की अपर्याप्तता का परीक्षण करने के पश्चात् और कोई कार्यपालक आदेश पारित करके या विधान अधिनियमित करके ही दिया जा सकता है, अत: उड़ीसा सरकार द्वारा संकल्प पारित करके प्रशासनिक सेवा-I में प्रोन्नत सामान्य प्रवर्ग के अधिकारियों और आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नत अधिकारियों की उक्त संविधान संशोधन से पूर्व बनाई रखी गई पदक्रम सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा देते हुए किए गए परिवर्तन को, ऐसे संकल्प का कोई विधिक आधार न होने के कारण, कायम नहीं रखा जा सकता है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी-रिट याची उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन के अनुसरण में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-II (ओएएस-II) के पद पर नियुक्त किए गए थे । वे वर्ष 1983,

1984 और 1987 के दौरान भर्ती किए गए थे । उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए उनके अपने-अपने बैचों के लिए बनाई गई योग्यता सूची में भिन्न-भिन्न रैंक दिए गए थे । उपर्युक्त योग्यता सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों को, जो आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किए गए थे, रिट याचियों से नीचे रखा गया था । इस प्रकार, रिट याची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित नियुक्त किए गए व्यक्तियों से ज्येष्ठ थे । प्रत्यर्थी-रिट याचियों को बाद में प्रोन्नत किया गया और तारीख 26 अगस्त, 2000 की सरकारी अधिसूचना द्वारा अगले उच्च प्रवर्ग अर्थात् उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (ओएएस-I)(कनिष्ठ शाखा) में नियुक्त किया गया था । अपीलार्थियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित कुछ अन्य व्यक्तियों को, जो पश्चात्वर्ती बैचों में प्रत्यर्थी-रिट याचियों के साथ भर्ती किए गए थे, वर्ष 1995 और 2000 के दौरान आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (कनिष्ठ शाखा) के रैंक में प्रोन्नति दी गई थी । लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षित प्रवर्गों और अनारक्षित प्रवर्गों की ज्येष्ठता को, जिनमें प्रत्यर्थी-रिट याची भी सम्मिलित थे, अंतिम रूप नहीं दिया गया था । चूंकि परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण करने वाले सिद्धांत कई मुकदमों की विषयवस्तु थी । लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-II के काडर में मूल ज्येष्ठता स्थिति भारत संघ और अन्य बनाम वीरपाल सिंह चौहान और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किन्हीं परिवर्तनों के बिना प्रतिधारित रखी गई थी । पश्चात्वर्ती वर्षों में प्रोन्नति मिलने की बात को विचार में लाए बिना, तारीख 16 मई, 2001 को तैयार की गई ज्येष्ठता सूची में प्रत्यर्थी-रिट याचियों और रोस्टर बिंदु के आधार पर उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I के रैंक में प्रोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता को बनाए रखा गया था । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित प्रवर्ग के अधिकारियों को पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति का फायदा प्रदान करने के लिए राज्य को समर्थ बनाने हेतु 85वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन किया गया था । अनुच्छेद 16(4क) को संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था और "किसी श्रेणी में प्रोन्नति के

मामलों में" शब्दों के स्थान पर "किसी श्रेणी के प्रोन्नति के मामलों में पारिणामिक ज्येष्ठता सहित" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे । भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करते हुए ओडिशा राज्य ने सरकार के सभी विभागों को आरक्षण के नियम के फलस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति पर ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए अनुदेश जारी करने हेतु तारीख 20 मार्च, 2002 का संकल्प जारी किया था । तारीख 20 मार्च, 2002 के इस सरकारी संकल्प के अनुसरण में तारीख 16 मई, 2001 की सूची के विपरीत प्रत्यर्थी-रिट याचियों की ज्येष्ठता को परिवर्तित करते हुए तारीख 3 मार्च, 2008 की पदक्रम सूची तैयार की गई थी । प्रत्यर्थी-रिट याचियों ने पहली बार में उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण में मूल आवेदन फाइल करके समावेदन किया था किंतु उक्त आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह समय-पूर्व है । उसके पश्चात्, प्रत्यर्थी-रिट याचियों ने अधिकरण के आदेशों को प्रश्नगत करते हुए उच्च न्यायालय में समावेदन किया और सरकारी संकल्प तथा पारिणामिक पदक्रम की सूची को अभिखंडित करने के लिए अनुतोष की भी ईप्सा की । उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के इस समूह में सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर मंजूर किया कि तारीख 20 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प को न तो अनुच्छेद 16(4क) के अधीन राज्य की सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विधि की संज्ञा दी जा सकती है और न ही इससे इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मानदंडों का समाधान होता है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि ऐसे प्रस्ताव के लिए कोई विधिक आधार नहीं है और तद्नुसार सरकारी संकल्प तथा पारिणामिक पदक्रम सूची को अभिखंडित कर दिया । अपीलार्थियों ने व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4क) को संशोधित करते हुए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के पश्चात्, जिसमें राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण करके पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा देने

के लिए राज्य को समर्थ बनाया गया है, ओडिशा राज्य द्वारा न तो विधान के द्वारा और न ही कार्यपालक आदेश के द्वारा वर्ग-1 की सेवाओं में ऐसा फायदा देने के लिए कोई उपबंध किया गया था । राज्य की ओर से अधिवक्ता ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि सरकार ने कोई कार्यपालक आदेश जारी नहीं किया था या कोई विधान पारित नहीं किया था । तारीख 20 मार्च, 2002 का सरकारी संकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण किए बिना ही जारी किया गया है । जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है, राज्य ने अपने प्रति-शपथपत्र में यह आधार लिया है कि उन व्यक्तियों को ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए, जो आरक्षित रिक्तियों में प्रोन्नत किए गए हैं, कोई विधि लाने की आवश्यकता नहीं है । तारीख 20 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प को न तो अनुच्छेद 16(4क) के अधीन सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई विधि की संज्ञा दी जा सकती है और न ही इससे इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों में अधिकथित किए गए मानदंडों का समाधान होता है । संकल्प का कोई विधिक आधार नहीं है । उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-। (कनिष्ठ शाखा) की तारीख 16 मई, 2001 की ज्येष्ठता/पदक्रम सूची इस न्यायालय द्वारा अधिकथित किए गए विनिश्चयाधार का अनुसरण करते हुए ठीक ही तैयार की गई थी और पारिणामिक ज्येष्ठता का अतिरिक्त फायदा प्रदत्त करने के लिए स्वीकार्य सामग्री के आधार पर आधारित कार्यपालक आदेश के द्वारा किसी विधि या विनिश्चय के अभाव में तारीख 3 मार्च, 2008 की पदक्रम सूची उन स्थितियों को परिवर्तित करते हुए बनाई गई थी जो तारीख 16 मई, 2001 की सूची में बनाई रखी गई थीं । जबकि राज्य कार्यपालक आदेश द्वारा भी अनुच्छेद 16(4क) के अधीन यथा अनुध्यात आज्ञापक अपेक्षाओं को लागू करके यह फायदा प्रदत्त करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु तारीख 20 मार्च, 2002 का संकल्प प्रोन्नत पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, किए बिना केवल भारत संघ के अनुदेशों को निर्दिष्ट करते हुए जारी किया गया है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल श्री ए. सुब्बा राव की यह दलील है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-। की

सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का फायदा 1975 के उड़ीसा अधिनियम सं. 38 की धारा 10 के अनुसार दिया गया है, किंतु इस दलील को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ओडिशा राज्य द्वारा यह अधिनियम वर्ष 1975 में अधिनियमित किया गया था किंतु उन प्रोन्नत व्यक्तियों को, जो आरक्षित रिक्तियों में प्रोन्नत किए गए थे, ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए इस अधिनियम में ऐसे किसी उपबंध को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है । ज्येष्ठता का फायदा प्रदत्त करने के लिए उक्त अधिनियम में किसी उपबंध के अभाव में और 2000 के संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन किया गया था, के पश्चात् इस अधिनियम में किसी संशोधन के अभाव में इस अधिनियम की धारा 10 का अवलंब लेकर ज्येष्ठता का फायदा नहीं दिया जा सकता है । प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा रिट याचिका में फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र में लिए गए आधार को दृष्टिगत करते हुए और इसके अतिरिक्त ओडिशा राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील को देखते हुए कि ज्येष्ठता का फायदा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के निबंधनों के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व का परीक्षण करके किसी राज्य अधिनियम या किसी कार्यपालक आदेश द्वारा नहीं दिया गया था, यह न्यायालय इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाता है जिससे कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके । (पैरा 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2019] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 694 : **बी. के. पवित्र और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 11

[2018] (2018) 10 एस. सी. सी. 396 : **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य** ; 11

[2006] (2006) 8 एस. सी. सी. 212 : **एम. नागराज और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 3

[1999] (1999) 7 एस. सी. सी. 209 :
अजीत सिंह और अन्य (II) बनाम
पंजाब राज्य और अन्य ; 4

[1997] (1997) 6 एस. सी. सी. 538 :
जगदीश लाल और अन्य बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य ; 4

[1996] ए. आई. आर. 1996 एस. सी.
448 = (1995) 6 एस. सी. सी. 684 :
भारत संघ और अन्य बनाम
वीरपाल सिंह चौहान और अन्य ; 4

[1992] (1992) 3 (सप्ली.) एस. सी. सी. 217 :
इंदिरा साहनी और अन्य बनाम
भारत संघ और अन्य । 11

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2011 की सिविल अपील सं. 3240 (इसके साथ 2011 की सिविल अपील सं. 4421).

2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 6781 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के तारीख 24 दिसंबर, 2010 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री ए. सुब्बा राव

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री ए. विनायागम बालन, शिबाशीष मिश्रा और सीबो शंकर मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – यह सिविल अपील 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 6781 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा तारीख 24 दिसंबर, 2010 को पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर फाइल की गई है । पूर्वोक्त आदेश द्वारा 2008 के मूल आवेदन सं. 904 (सिविल) में उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2008 को पारित किए गए निर्णय को अपास्त करते हुए इस अपील में प्रत्यर्थी

सं. 4 से 8 द्वारा फाइल की गई रिट याचिका मंजूर की गई थी तथा तारीख 20 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प और उड़ीसा प्रशासनिक सेवाएं, वर्ग-1 (कनिष्ठ शाखा) के लिए तारीख 3 मार्च, 2008 की पारिणामिक पदक्रम सूची को अभिखंडित कर दिया गया था ।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2002 के कार्यालय ज्ञापन में जारी किए गए अनुदेशों को दृष्टिगत करते हुए, उड़ीसा सरकार ने तारीख 20 मार्च, 2002 का एक संकल्प पारित किया था । पूर्वोक्त संकल्प द्वारा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए आरक्षण के नियम के फलस्वरूप प्रोन्नति होने पर ज्येष्ठता सूची नियत करने के लिए इस आशय के अनुदेश जारी किए थे कि राज्य सरकार द्वारा साधारण प्रशासन विभाग के तारीख 2 नवंबर, 2000 के संकल्प सं. 39374 में पहले अपनाए गए "कैच-अप सिद्धांत" का आगे के लिए अनुसरण नहीं किया जाएगा । यह भी आदेश किया गया था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी सेवक आरक्षण के नियम के फलस्वरूप प्रोन्नति के मामले में अपनी ज्येष्ठता प्रतिधारित करेंगे । उक्त सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि बाद में प्रोन्नत किए गए सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित सरकारी सेवक आरक्षण के नियम के फलस्वरूप पहले प्रोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों से कनिष्ठ रखे जाएंगे ।

3. उच्च न्यायालय ने पूर्वोल्लिखित रिट याचिका और संबद्ध रिट याचिकाओं को मंजूर किया तथा पूर्वोक्त सरकारी आदेश और तारीख 3 मार्च, 2008 की पदक्रम सूची को मुख्य रूप से इस आधार पर अभिखंडित कर दिया कि राज्य सरकार जब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति का फायदा प्रदत्त करने के लिए कोई विधि नहीं बनाती है, तब तक वे सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के ऊपर प्रोन्नत प्रवर्गों में ज्येष्ठता का दावा करने के हकदार नहीं हैं । उक्त रिट याचिका **एम. नागराज और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस

---

[1] (2006) 8 एस. सी. सी. 212.

न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए मंजूर की गई है ।

4. प्रत्यर्थी-रिट याची उड़ीसा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन के अनुसरण में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-II (ओएएस-II) के पद पर नियुक्त किए गए थे । वे वर्ष 1983, 1984 और 1987 के दौरान भर्ती किए गए थे । उन्हें लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किए गए उनके अपने-अपने बैचों के लिए बनाई गई योग्यता सूची में भिन्न-भिन्न रैंक दिए गए थे । उपर्युक्त योग्यता सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों को, जो आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किए गए थे, रिट याचियों से नीचे रखा गया था । इस प्रकार, रिट याची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित नियुक्त किए गए व्यक्तियों से ज्येष्ठ थे । प्रत्यर्थी-रिट याचियों को बाद में प्रोन्नत किया गया और तारीख 26 अगस्त, 2000 की सरकारी अधिसूचना द्वारा अगले उच्च प्रवर्ग अर्थात् उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (ओएएस-I)(कनिष्ठ शाखा) में नियुक्त किया गया था । अपीलार्थियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित कुछ अन्य व्यक्तियों को, जो पश्चात्वर्ती बैचों में प्रत्यर्थी-रिट याचियों के साथ भर्ती किए गए थे, वर्ष 1995 और 2000 के दौरान उड़ीसा पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए) अधिनियम, 1975 और तद्धीन बनाए गए नियमों में उपबंधित अनुसार आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (कनिष्ठ शाखा) के रैंक में प्रोन्नति दी गई थी । लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षित प्रवर्गों और अनारक्षित प्रवर्गों की ज्येष्ठता को, जिनमें प्रत्यर्थी-रिट याची भी सम्मिलित थे, अंतिम रूप नहीं दिया गया था । चूंकि परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण करने वाले सिद्धांत कई मुकदमों की विषयवस्तु थी । लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-II के काडर में मूल ज्येष्ठता स्थिति **भारत संघ और अन्य** बनाम **वीरपाल सिंह चौहान और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किन्हीं परिवर्तनों के बिना प्रतिधारित रखी गई थी । पश्चात्वर्ती वर्षों में प्रोन्नति मिलने की बात को विचार में लाए बिना, तारीख 16 मई, 2001 को तैयार की गई

---

[1] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 448 = (1995) 6 एस. सी. सी. 684.

ज्येष्ठता सूची में प्रत्यर्थी-रिट याचियों और रोस्टर बिंदु के आधार पर उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-। के रैंक में प्रोन्नत किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता को बनाए रखा गया था । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित प्रवर्ग के अधिकारियों को पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति का फायदा प्रदान करने के लिए राज्य को समर्थ बनाने हेतु 85वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन किया गया था । अनुच्छेद 16(4क) को संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था और "किसी श्रेणी में प्रोन्नति के मामलों में" शब्दों के स्थान पर "किसी श्रेणी के प्रोन्नति के मामलों में पारिणामिक ज्येष्ठता सहित" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे । **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने 2001 के संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम को कायम रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य प्रोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के लिए आबद्ध नहीं हैं । तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसा उपबंध करते हैं, तो राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 की अनुपालना के अतिरिक्त उस वर्ग के पिछड़ेपन और लोक नियोजन में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शित करते हुए अनुमान्य आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं । यह भी स्पष्ट किया गया था कि भले ही राज्य के लिए बाध्यकारी कारण हों, राज्य को इस बात पर विचार करना होगा कि उसका आरक्षण का उपबंध अत्यधिक न हो जिससे कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का भंग हो जाए या क्रिमि लेयर समाप्त हो जाए या अनिश्चित काल के लिए आरक्षण का विस्तार हो सके । **वीरपाल सिंह चौहान** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि आरक्षित प्रोन्नत अभ्यर्थी प्रोन्नत किए गए पद पर ज्येष्ठता के हकदार नहीं हैं और यदि सामान्य प्रवर्ग का अभ्यर्थी उक्त पद पर पहुंचता है तो आरक्षित रिक्तियों के प्रोन्नत व्यक्तियों पर ज्येष्ठता का हकदार है । उसके पश्चात्, **जगदीश लाल और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के तीन

[1] (1997) 6 एस. सी. सी. 538.

न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आरक्षित प्रवर्ग के प्रोन्नत अभ्यर्थी प्रोन्नत पदों पर ज्येष्ठता के हकदार हैं न कि पोषित काडर के अनुसार । इसके पश्चात्, **अजीत सिंह और अन्य (II)** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने **जगदीश लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय को उलट दिया और **वीरपाल सिंह चौहान** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय में यथा वर्णित सिद्धांत अर्थात् "कैच-अप सिद्धांत" को कायम रखा ।

5. **वीरपाल सिंह चौहान** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "कैच-अप सिद्धांत", जिसका अनुमोदन बाद में **अजीत सिंह (II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में किया गया है, को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (कनिष्ठ शाखा) के अधिकारियों की तारीख 16 मई, 2001 की ज्येष्ठता सूची बनाई गई थी । इस सूची में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित रोस्टर बिंदु के आधार पर प्रोन्नत व्यक्तियों को, जिन्हें पहले आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध, उनके पोषित काडर में मूल ज्येष्ठता को विचार में लाए बिना, उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (कनिष्ठ शाखा) में प्रोन्नति दी गई थी, प्रत्यर्थी-रिट याचियों के नीचे दर्शाया गया था । यह विवादग्रस्त नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन करने वाले 85वें संविधान संशोधन के पश्चात् ओडिशा राज्य ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से संबंधित अधिकारियों के लिए, जो आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नत किए गए हैं, ज्येष्ठता का फायदा प्रदत्त करने के लिए न तो कोई कार्यपालक आदेश जारी किया और न ही कोई विधान अधिनियमित किया । भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करते हुए ओडिशा राज्य ने सरकार के सभी विभागों को आरक्षण के नियम के फलस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों को प्रोन्नति पर ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए अनुदेश जारी करने हेतु तारीख 20 मार्च, 2002 का संकल्प जारी किया था । तारीख 20 मार्च, 2002 के इस सरकारी संकल्प के अनुसरण में तारीख 16 मई, 2001 की सूची के विपरीत प्रत्यर्थी-रिट याचियों की ज्येष्ठता

---

[1] (1999) 7 एस. सी. सी. 209.

को परिवर्तित करते हुए तारीख 3 मार्च, 2008 की पदक्रम सूची तैयार की गई थी ।

6. प्रत्यर्थी-रिट याचियों ने पहली बार में उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण में मूल आवेदन फाइल करके समावेदन किया था किंतु उक्त आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह समय-पूर्व है । उसके पश्चात्, प्रत्यर्थी-रिट याचियों ने अधिकरण के आदेशों को प्रश्नगत करते हुए उच्च न्यायालय में समावेदन किया और सरकारी संकल्प तथा पारिणामिक पदक्रम की सूची को अभिखंडित करने के लिए अनुतोष की भी ईप्सा की । उच्च न्यायालय द्वारा मामलों के इस समूह में सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिका को इस आधार पर मंजूर किया कि तारीख 20 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प को न तो अनुच्छेद 16(4क) के अधीन राज्य की सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विधि की संज्ञा दी जा सकती है और न ही इससे इस न्यायालय द्वारा अधिकथित मानदंडों का समाधान होता है । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि ऐसे प्रस्ताव के लिए कोई विधिक आधार नहीं है और तद्नुसार सरकरी संकल्प तथा पारिणामिक पदक्रम सूची को अभिखंडित कर दिया ।

7. हमने अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. सुब्बा राव, ओडिशा राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल तथा रिट याचियों में से एक रिट याची का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना ।

8. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. सुब्बा राव ने प्राथमिक रूप से यह दलील दी कि **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस न्यायालय ने 85वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के संशोधन को कायम रखा और यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य पारिणामिक ज्येष्ठता सहित आरक्षण का फायदा या तो कार्यपालक आदेश द्वारा या विधान के द्वारा देने के लिए सदैव स्वतंत्र है । जब सरकार ने तारीख 20 मार्च, 2002 के संकल्प द्वारा यह विनिश्चय किया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा कोई विधिमान्य कारण दिए बिना इस संकल्प को अभिखंडित कर दिया । यह भी दलील दी गई

कि 1975 का उड़ीसा अधिनियम सं. 38 अर्थात् उड़ीसा पद और सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए) अधिनियम, 1975 राज्य में प्रर्वतन में है, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नतियों में भी आरक्षण का फायदा दिया गया है । विद्वान् काउंसेल ने अपनी इस दलील पर बल देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 का अवलंब लिया कि उक्त धारा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नत अभ्यर्थी ज्येष्ठता के फायदे के हकदार हैं ।

9. ओडिशा राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उचित ही यह दलील दी कि 85वें संविधान संशोधन के पश्चात्, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन किया गया था, आरक्षित रिक्तियों में पारिणामिक ज्येष्ठता के साथ प्रोन्नति का फायदा देने के लिए ओडिशा राज्य में न तो कोई विधान है और न ही सरकार द्वारा जारी किया गया कोई कार्यपालक आदेश है ।

10. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर की अन्य सामग्री का परिशीलन किया ।

11. अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-I (कनिष्ठ शाखा) की पदक्रम सूची में सामान्य प्रवर्ग के अधिकारियों के लिए ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित किया गया था, जो **वीरपाल सिंह चौहान** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित "कैच-अप नियम" का फायदा देते हुए तारीख 16 मई, 2001 को तैयार की गई थी और इस नियम को बाद में **अजीत सिंह (II)** (उपर्युक्त) वाले मामले में स्वीकार किया गया था । संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के पश्चात् अनुच्छेद 16(4क) निम्न प्रकार से है :–

"16. लोक नियोजन के विषयों में अवसर की क्षमता – (1) ....

(2) ....

(3) ....

(4) ....

(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर, पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।"

उपर्युक्त संशोधित सांविधानिक उपबंध से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य की यह राय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य किसी वर्ग के लिए पारिणामिक ज्येष्ठता सहिता प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण का उपबंध करने के लिए सशक्त है । जब इस सांविधानिक संशोधन की विधिमान्यता को प्रश्नगत किया गया था तो इसे **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था । पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि राज्य प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के लिए आबद्ध नहीं है । तथापि, यदि वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और प्रोन्नति में आरक्षण करते हैं, तो राज्यों को दक्षता को बनाए रखने की बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 द्वारा उपदर्शित किया गया है, उस वर्ग के पिछड़ेपन और लोक नियोजन में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शित करने वाले अनुमान्य आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी कवायद आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । **सूरजभान मीणा और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का उपबंध करते हुए जारी की गई अधिसूचनाओं की विधिमान्यता पर विचार किया था ।

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 467.

पूर्वोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि पारिणामिक ज्येष्ठता सहित आरक्षण का फायदा प्रदान करने वाली अधिसूचनाएं जारी करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सदस्यों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता अभिनिश्चित करने के लिए अनुमान्य आंकड़े एकत्रित करना एक पूर्ववर्ती शर्त है । इसके अतिरिक्त, **बी. के. पवित्र और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 16(4क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिए 'प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता', 'पिछड़ेपन' और 'समग्र दक्षता' का अवधारण करना आज्ञापक है । उक्त मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि मात्र यह तथ्य कि आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रोन्नत पदों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, उन प्रोन्नत व्यक्तियों को, जो अन्यथा कनिष्ठ हैं, पारिणामिक ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए स्वयमेव पर्याप्त नहीं है । यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य द्वारा ऐसी आज्ञापक कवायद के अभाव में "कैच-अप नियम" पूरी तरह से लागू होता है । **जरनैल सिंह और अन्य** बनाम **लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य**[2] वाले मामले में निर्देश का उत्तर देते हुए इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय पर सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय के प्रतिनिर्देश करते हुए पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है । साथ-ही-साथ यह भी अभिनिर्धारित किया कि **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में के इस निष्कर्ष को, कि राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन को दर्शित करने वाले अनुमान्य आंकड़े एकत्रित करने चाहिएं, इस आधार पर अविधिमान्य ठहराया गया कि यह **इंदिरा साहनी और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ के निर्णय के प्रतिकूल है । उक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 16(4क) ऐसी भाषा में व्यक्त किया गया है जिसमें यह कार्य

---

[1] (2017) 4 एस. सी. सी. 620.

[2] (2018) 10 एस. सी. सी. 396.

[3] (1992) 3 (सप्ली.) एस. सी. सी. 217.

राज्य पर छोड़ दिया है कि प्रश्नगत प्रोन्नत पदों पर निर्भर करते हुए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अवधारण करे । इसके अतिरिक्त, **बी. के पवित्र और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने कर्नाटक (राज्य की सिविल सेवाओं में पदों पर) आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की ज्येष्ठता का अवधारण अधिनियम, 2002 की विधिमान्यता पर विचार करते हुए इस अधिनियम को इस आधार पर कायम रखा गया कि यह अधिनियम प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्र प्रशासनिक दक्षता से संबंधित अध्ययन करके अधिनियमित किया गया था ।

12. ऊपर निर्दिष्ट किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4क) को संशोधित करते हुए संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, 2001 के पश्चात्, जिसमें राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण करके पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा देने के लिए राज्य को समर्थ बनाया गया है, ओडिशा राज्य ने न तो विधान के द्वारा और न ही कार्यपालक आदेश के द्वारा वर्ग-1 की सेवाओं में ऐसा फायदा देने के लिए कोई उपबंध किया गया था । राज्य की ओर से अधिवक्ता ने विनिर्दिष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि सरकार ने कोई कार्यपालक आदेश जारी नहीं किया था या कोई विधान पारित नहीं किया था । तारीख 20 मार्च, 2002 का सरकारी संकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के आधार पर पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण किए बिना ही जारी किया गया है । जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है, राज्य ने अपने प्रति-शपथपत्र में यह आधार लिया है कि उन व्यक्तियों को ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए, जो आरक्षित रिक्तियों में प्रोन्नत किए गए हैं, कोई विधि लाने की आवश्यकता नहीं है । तारीख 20 मार्च, 2002 के सरकारी संकल्प को न तो अनुच्छेद 16(4क) के अधीन सामर्थ्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाई गई विधि की संज्ञा दी जा सकती है और न ही इससे इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों में अधिकथित किए गए मानदंडों का समाधान होता

---

[1] 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 694.

है । संकल्प का कोई विधिक आधार नहीं है । उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-। (कनिष्ठ शाखा) की तारीख 16 मई, 2001 की ज्येष्ठता/पदक्रम सूची इस न्यायालय द्वारा अधिकथित किए गए विनिश्चयाधार का अनुसरण करते हुए ठीक ही तैयार की गई थी और पारिणामिक ज्येष्ठता का अतिरिक्त फायदा प्रदत्त करने के लिए स्वीकार्य सामग्री के आधार पर आधारित कार्यपालक आदेश के द्वारा किसी विधि या विनिश्चय के अभाव में तारीख 3 मार्च, 2008 की पदक्रम सूची उन स्थितियों को परिवर्तित करते हुए बनाई गई थी जो तारीख 16 मई, 2001 की सूची में बनाई रखी गई थीं । जबकि राज्य कार्यपालक आदेश द्वारा भी अनुच्छेद 16(4क) के अधीन यथा अनुध्यात आज्ञापक अपेक्षाओं को लागू करके यह फायदा प्रदत्त करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु तारीख 20 मार्च, 2002 का संकल्प प्रोन्नत पदों में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का परीक्षण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, किए बिना केवल भारत संघ के अनुदेशों को निर्दिष्ट करते हुए जारी किया गया है ।

13. इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल श्री ए. सुब्बा राव की यह दलील है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा-। की सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का फायदा 1975 के उड़ीसा अधिनियम सं. 38 की धारा 10 के अनुसार दिया गया है, किंतु इस दलील को इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ओडिशा राज्य द्वारा यह अधिनियम वर्ष 1975 में अधिनियमित किया गया था किंतु उन प्रोन्नत व्यक्तियों को, जो आरक्षित रिक्तियों में प्रोन्नत किए गए थे, ज्येष्ठता का फायदा देने के लिए इस अधिनियम में ऐसे किसी उपबंध को हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है । ज्येष्ठता का फायदा प्रदत्त करने के लिए उक्त अधिनियम में किसी उपबंध के अभाव में और 2000 के संविधान (85वां) संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा अनुच्छेद 16(4क) का संशोधन किया गया था, के पश्चात् इस अधिनियम में किसी संशोधन के अभाव में इस अधिनियम की धारा 10 का अवलंब लेकर ज्येष्ठता का फायदा नहीं दिया जा सकता है । प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा रिट याचिका में फाइल किए गए प्रति-शपथपत्र में लिए गए आधार को दृष्टिगत करते हुए और इसके

अतिरिक्त ओडिशा राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई इस दलील को देखते हुए कि ज्येष्ठता का फायदा संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के निबंधनों के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व का परीक्षण करके किसी राज्य अधिनियम या किसी कार्यपालक आदेश द्वारा नहीं दिया गया था, हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिससे कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके । अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **जरनैल सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी अपीलार्थियों के मामले को कोई सहायता नहीं मिलती है । उक्त निर्णय में भी पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति का फायदा देने के लिए **एम. नागराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के निबंधनों के अनुसार पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का परीक्षण करने की आवश्यकता को बनाए रखा गया है । इसलिए उक्त निर्णय से अपीलार्थियों के मामले में कोई सहायता नहीं मिलती है ।

14. पूर्वोक्त कारणों से यह अपील, खर्चे के लिए कोई आदेश किए बिना, खारिज की जाती है ।

2011 की सिविल अपील सं. 4421

15. इस अपील में अपीलार्थियों ने भी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, उसी अनुतोष की ईप्सा की है जिसकी ईप्सा 2011 की सिविल अपील सं. 3240 में की गई है । 2011 की सिविल अपील सं. 3240 की खारिजी को ध्यान में रखते हुए यह अपील भी खारिज की जाती है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.